न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/101

बद्रीलाल आत्मज उरज्या जाति गुर्जर निवासी गेण्डोली कला नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी गेण्डोली कला हाल ग्राम ओहडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. काली बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी दयाराम जाति गुर्जर निवासी गेण्डोली कला हाल ग्राम बालदडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. मोतीलाल आत्मज उरज्या जाति गुर्जर ।
4. रामलाल आत्मज उरज्या जाति गुर्जर ।
5. भंवर लाल आत्मज उरज्या जाति गुर्जर निवासीगण गेण्डोली कला नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. छोटी बाई पुत्री उरज्या पत्नी भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ढीकोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. उप पंजीयक, के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री केसरी लाल बैरवा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गेण्डोलीकला नया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 515 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 4.02 हैक्टर, खसरा

नम्बर 703 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 708 रकबा 1.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.05 हैक्टर कुल 07 किता की 6.54 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में अप्रार्थीगण क्रम 1 से 5 का बराबर हिस्सा दर्ज है । उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्सा 1/5 में 2/3 हिस्से के जन्म से ही अधिकार होने से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और अपने हिस्से को घोषित करवाकर विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं । अप्रार्थी क्रम 1 ने अकेले अपना नाम अंकन करवा लिया जिसका फायदा उठाकर वह उक्त भूमि को बेचान करने, रहन रखने एवं अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा है । यदि अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वादग्रस्त आराजी को बेचान कर देगा और प्रार्थीगण का वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जावेगा । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण को है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से रहन, बय, दान, वसीयत हिब्बा या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रमाणित नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा और और अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अपीलान्ट का विवाह प्रार्थीगण की मॉ हीराबाई से हुआ था किन्तु वह अन्य व्यक्ति के यहॉ नाते चली गई । हीराबाई ने उक्त व्यक्ति के नुत्फे से प्रार्थीगण को जन्म दिया । इस कारण प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में बाबत् हक घोषणा पेश किया है जिसके तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसमें यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में बद्रीलाल अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा है आराजी पैतृक है इस कारण उनका 1/5 हिस्से में से 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया था कि तलाक की डिक्री सन् 2006 में

मिसल संख्या 163/2003 में पारित की गई थी जिसमें प्रार्थीगण को अपीलान्ट की संतान नहीं माना । प्रार्थीगण की माता ने भी यही कथन किया है कि प्रार्थीगण अपीलान्ट की संतान नहीं है । प्रार्थीगण चूँकि अपीलान्ट के वारिसान नहीं है इसलिए वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हित–निहित नहीं है न ही प्रार्थी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर है । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है उनका दावा मेन्टेनेबल नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है। प्रार्थीगण बद्रीलाल की संतानें हैं । अपीलान्ट बद्रीलाल स्वयं ने सिविल न्यायलाय में जो प्रार्थना पत्र बाबत् संरक्षक प्रस्तुत किया है उसमें प्रार्थीगण को अपनी संतान बताया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उसमें हित–निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जिला न्यायाधीश बून्दी के आदेश दिनांक 07.12.2006 की फोटो प्रति संलग्न है । यह आदेश अपीलान्ट बद्रीलाल के प्रार्थना पत्र में पारित किया गया है । बद्रीलाल ने अपने अवयस्क पुत्र नन्दकिशोर जो कि प्रार्थी है की रक्षा प्राप्त हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया था और यह प्रार्थना पत्र नन्दकिशोर के वयस्क हो जाने के आधार पर खारिज किया गया था । जिला एवं सत्र न्यायाधीश बून्दी में धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति और जिलाधीश के निर्णय दिनांक 07.12.2006 की प्रति संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 नया खाता संख्या 190 जिसमें कुल 07 किता की 6.54 हैक्टर आराजी मोतीलाल, बद्रीलाल, रामलाल, भंवरलाल पिस0 उरज्या छोटी बाई पुत्री उरज्या कौम गुर्जर के नाम खातेदारी में दर्ज है । नन्दकिशोर के स्कूल की टी0सी0 भी संलग्न है जिसमें उनके पिता का नाम बद्रीलाल अंकित है और जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 की प्रति भी पत्रावली में संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 भी पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 10 की कुल 07 किता की 6.54 हैक्टर भूमि उरज्या वल्द सुखा के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 29.05.2002 से उरज्या फौत के स्थान पर मोती लाल, बद्रीलाल, रामलाल भंवर लाल पिस0 उरज्या व छोटी पुत्री उरज्या के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है ।

10. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेज संलग्न हैं उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी उरज्या के खाते से मोती लाल, बद्रीलाल व अन्य के खाते में आई है जिसमें बद्रीलाल को 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ है । प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को पैतृक बताया है । बद्रीलाल के हिस्से में से हिस्सा प्राप्त करने के लिए हक, घोषणा का दावा पेश किया है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है । अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण उसकी संतान नहीं है परन्तु पत्रावली में जो जिला एंव सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 07.12.2006 की प्रति संलग्न है उसमें अप्रार्थी अपीलान्ट ने स्वयं काली बाई को एवं नन्दकिशोर को अपनी संतान माना है । यद्यपि पक्षकारा के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु प्रार्थीगण बद्रीलाल

की संतान होने के नाते प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में बनना पाया जाता है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में है ।

11. वादग्रस्त आराजी उरज्या के खाते में थी और उरज्या से बद्रीलाल के खाते में आई है जिससे वादग्रस्त आराजी पैतृक होना प्रमाणित होता है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया है जबकि प्रार्थीगण का हित बद्रीलाल के 1/5 हिस्से में ही निहित है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम एक अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से को रहन, बेचान नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाना विधि सम्मत है । शेष अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 में इस प्रकार से संशोधन किया जाता किरया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थी कम 1 बद्रीलाल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में अपने 1/5 हिस्से को रहन, बेचान या अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करने व 1/5 हिस्से तक अप्रार्थी कम 1 रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.112018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा